उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–2038–पाकालि / 2019–02(यू0)ए0एस0 / 18

दिनांक : 24 जून, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पूर्वान्चल / दक्षिणांचल / पश्चिमाँचल,
विद्युत वितरण निगम लि0 / केस्को,
लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ / कानपुर।

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

विषयः– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 27.06.2019 को इको गार्डन, आलमबाग, लखनऊ में धरना प्रदर्शन, दिनांक 28 एवं 29 जून को क्रमिक अनशन व दिनांक 30.06.2019 से कार्य बहिष्कार किये जाने के सम्बन्ध।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा / संविदा कर्मचारी संघ के पत्र संख्या–UPPKNSKS-27 दिनांक 27.05.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संघ ने दिनांक 27.06.2019 को इको गार्डन, आलमबाग, लखनऊ में दिनांक 27.06.2019 को इको गार्डन में धरना प्रदर्शन, दिनांक 28 एवं 29 जून को क्रमिक अनशन व दिनांक 30.06.2019 से कार्य बहिष्कार किये जाने की नोटिस दी है।

आप विदित है कि उ0प्र0 शासन ने उ0प्र0 आवश्यक सेवाओ का अनुरक्षण अधिनियम–1966 के अर्न्तगत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना संख्या–2 / 2019 / 2368 / 24–पी–2–18–1(121) / 04 दिनांक 04.01.2019 द्वारा छः माह के लिये हड़ताल निषिद्ध की है जिसकी सूचना आपको कारपोरेशन (मुख्यालय) के पृष्ठांकन संख्या–20–औ0सं0 / 2019–159–ए / 67 दिनांक 04.01.2019 द्वारा दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में कार्य बहिष्कार, रैली आदि करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है।

अतः उ0प्र0 कारपोरेशन निविदा / संविदा कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तावित उक्त धरना प्रदर्शन, क्रमिक अनशन एवं कार्य–बहिष्कार को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये ताकि उपभोक्ताओं को विद्युत की उपलब्धता हो सके।

यह भी अनुरोध है कि प्रस्तावित उक्त धरना प्रदर्शन, क्रमिक अनशन एवं कार्य–बहिष्कार के दृष्टिगत आउट सोर्स एजेन्सी को निर्देशित कर दिया जाये कि कोई भी आउट सोर्स श्रमिक प्रस्तावित आन्दोलन में प्रतिभाग नहीं करें तथा जो श्रमिक इसमें प्रतिभाग करें उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

उपर्युक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कष्ट करें।

सलंग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(बी0के0 खरे)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्याः–2038–औ0सं0 / 2019, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अपर सचिव–प्रथम / संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. ✓ अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु।

24/06/19

(बी0के0 खरे)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

उ0प्र0पा0का0 निविदा / संविदा कर्मचारी संघ

SPO

एकता!　रजि. सं. 10134　संघर्ष!!　विश्वास!!!　विजय!!!!

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ

प्रधान कार्यालय : 356/318/281 मानस विहार, सरीपुरा, आलमनगर रोड, लखनऊ

मुख्य संरक्षक: मा. कौशल किशोर, सांसद मोहनलालगंज, लखनऊ
प्रदेश अध्यक्ष: मो. खालिद, मो. 8565067409
प्रदेश उपाध्यक्ष: सुरेन्द्र पाण्डेय
प्रदेश उपाध्यक्ष: हर्षवर्धन
प्रदेश उपाध्यक्ष: प्रमोद मिश्र
प्रदेश महामंत्री: देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, मो. 8400754341
संयुक्त मंत्री: पंकज मिश्र
संयुक्त मंत्री: मुकेश श्रीवास्तव
संगठन मंत्री: रविन्द्र कुमार
संगठन मंत्री: सियाराम
प्रचार मंत्री: सिराज अली
कार्यालय मंत्री: सुशील कुमार
कोषाध्यक्ष: कल्लूराम

२४.५
7

पत्रांक: UPPKNSKS-27　　4636　　दिनांक: 27-5-2019

Dir (PATS)

~~Dir (PATS)~~

आन्दोलन की नोटिस

पंजी संख्या 1549 औ०सं०-17/पाकालि/19
पत्रावली सं० 2(U) AS/18
क्रमांक

सेवा में,

मानीय मुख्यमंत्री जी,
उ0 प्र0 सरकार
लखनऊ।

72/MOH/19
31/05/19

के अवगत
8 एवं 29.5.19
संगेतिका - 30.5.19

महोदय,

Jm/P

अवगत कराना है कि उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन, 14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ द्वारा वर्ष 2000 से विभाग की नीतियों के खिलाफ सब–स्टेशनों की आपरेटिंग लाइनों का अनुरक्षण, मीटरों की रीडिंग आदि कार्य को आउट सोर्सिंग के द्वारा छोटे–छोटे ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाना शुरू किया गया, इस बीच बहुत से ठेकेदार आये और चले गये, मगर कर्मचारी काम करते रहे, जिनका आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण स्थानीय अधिकारियों व ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है।

MD
~~नि (का.प्र.)~~
दे० बात करें

9.5.19
(आलोक कुमार)
अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

स्थानीय अधिकारियों द्वारा इन कर्मचारियों को बाहरी आदमी समझ कर सौतेला व्यवहार किया जाता है, अपना काम निकालने के लिए बिना सुरक्षा उपकरण दिये, सुरक्षा मानकों का नजर अंदाज कर दबाव बनाकर कार्य कराया जाता है, जिससे आये दिन कार्य के दौरान दुर्घटनाओं में या तो इनका अंग भंग हो रहा है, या फिर जान चली जा रही है। दुर्घटना के शिकार संविदा कर्मचारियों का उपचार भी विभाग या ठेकेदार द्वारा नहीं कराया जाता है। जिससे उपचार के अभाव में भी संविदा कर्मचारियों की मृत्यु हो रही है। पावर कारपोरेशन के आदेशों के अनुसार मृतक के परिजन को रु0 5 लाख दुर्घटना हित लाभ भी बिना धरना प्रदर्शन के नहीं दिया जाता है, क्योंकि दिया जाने वाला दुर्घटना हित लाभ कर्मचारियों की बीमित राशि है जो सीधे ठेकेदारों के खाते में जाता है, जो सम्बन्धित कर्मचारी के परिजनों को ठेकेदार द्वारा नहीं दिया जाता।

SPO
Training
04.6.19

275 | G.M.(I) | 2019
31/05/2019

5-(औ.स.)
3.6.19

PO Pl put up
6.6.19

SO
06-06-19

RO(R)RO
6.6.19

क्रमशः --2

पत्रांक : UPPKNSKS-27

दिनांक 27-5-2019

उक्त समस्याओं से ग्रसित होकर संघ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में समान कार्य का समान वेतन देने की याचिका दायर की गयी जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा संघ के पक्ष में फैसला सुनाया गया जिसका पालन पावर कारपोरेशन द्वारा नहीं किया जा रहा है।

पावर कारपोरेशन प्रबन्धन द्वारा आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों का छोटे--छोटे ठेकेदारों से 18 वर्षों तक शोषण कराने के बाद अब कम्पनियों को ठेका दिया गया है जो आते ही धन उगाही करना शुरू कर दी जिसकी सूचना पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन को देने के बावजूद भी कम्पनियों द्वारा पैतरा बदल–बदल कर धन उगाही का प्रयास किया गया जिसका संघ द्वारा घोर विरोध किया जा रहा है।

संघ द्वारा संविदा कर्मचारियों की ज्वलन्त समस्याओं का समाधान द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करने के प्रयास में अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को पत्र के माध्यम से वार्ता हेतु समय मांगा गया, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप संविदा कर्मचारियों की ज्वलन्त समस्यओं में दिन–प्रतिदिन वृद्धि होती गयी जिससे कर्मचारियों के मन में भारी असंतोष व रोष व्याप्त है।

उक्त कार्य को विभाग की नीतियों के अनुरूप संविदा कर्मचारियों को मस्टरोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर कराया जाये तो कर्मचारियें को पूरी मजदूरी मिलेगी, घोटालों पर अंकुश लगेगा, अधिकारी अपना आदमी समझकर सौतेला व्यवहार नहीं करते, आये दिन हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगता और विभाग पर पड़ने वाला आर्थिक भार में कमी आती।

अतः आप श्रीमान जी से निवेदन है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए विभाग के नीतियों के अनुरूप कार्य कर रहे संविदा

क्रमशः--3

कर्मचारियों को मस्टरोल व्यवस्था में समायोजित कर दिनांक 26.06.2019 तक विभाग से वेतन दिलाने कि दिशा में उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में संघ द्वारा दिनांक 27.06.2019 को ईको गार्डेन आलमबाग लखनऊ में विशाल धरना -प्रदर्शन, दिनांक 28 व 29 जून 2019 को क्रमिक अनशन व दिनांक 30 जून 2019 से कार्य बहिष्कार किया जायेगा जिसमें पूरे प्रदेश के बिजली आउटसोर्स कर्मचारी भाग लेंगें। जिसमें होने वाली औद्योगिक अशान्ति अथवा किसी भी प्रकार की क्षति की जिम्मेदारी पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन की होगी।

भवदीय,

(मो0 खालिद)
प्रदेश अध्यक्ष

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव ऊर्जा, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
3. मुख्य संरक्षक, मा0 सांसद कौशल किशोर मोहन लालगंज, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, 14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, लखनऊ।
8. सम्बन्धित थानाध्यक्ष।

(मो0 खालिद)
प्रदेश अध्यक्ष

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
प्रदेश महामंत्री

क्रमशः--4